पंजीकृत/डाक प्रमाण पत्र अधीन

प्रेषक :

निदेशक (भण्डार एवं क्रय)
चौ. च. सिं. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय
हिसार

प्रेषित :

मैसर्ज

....

....

....

....

यादि क्रमांक 3926-33

दिनांक 15/1/2025

विषय : **31-03-2026 तक की समाप्त होने वाली अवधि हेतु कार्यालय रद्दी, गत्ता रद्दी, पुस्तकालय रद्दी, पुराने समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं को उठाने हेतु रेट कान्ट्रेक्ट।**

महोदय,

1. यह विश्वविद्यालय आपके साथ उल्लेखित अवधि अर्थात् 31-03-2026 की अवधि तक विश्वविद्यालय कार्यालयों/विभागों की रद्दी उठाने हेतु रेट कान्ट्रेक्ट करने का इच्छुक है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि बताई गई तारीख की अवधि तक अपनी दरों व अन्य नियम व शर्तों का उल्लेख करते हुए उन्हें इस कार्यालय में प्रेषित करें।
2. आप द्वारा प्रेषित पत्र में निम्नलिखित बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

   (क) दरें

   (ख) सामान उठाने की अवधि

   (ग) अन्य शर्तें यदि कोई हों तो।
3. कार्यालय रद्दी को 6-8 हिस्से में फाड़कर बेचा जाएगा। रद्दी फाड़ने का कार्य फर्म द्वारा किया जाएगा तथा उसी को स्क्रैप/रद्दी के रूप में उठाना होगा।
4. रद्दी एक स्थान से नहीं अपितु विभिन्न विभागों द्वारा बेची जाएगी। सभी प्रकार की रद्दी की बिक्री पर केवल नकद धनराशि ही स्वीकार की जाएगी।
5. जिन प्रभारों का आपकी कुटेशन में उल्लेख नहीं होगा उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी सूरत में वहन नहीं किया जाएगा।
6. निम्न हस्ताक्षरी के नाम देय 25000.00 रुपये की प्रतिभूति राशि, आवधिक जमा पावत्ती अथवा मांग पर जमा इस आफर के साथ की जा सकती है जो 3.11.20[illegible] तक मान्य होगी एफ डी आर/डी ए सी के सिवाय अन्य विधि से प्रदत्त प्रतिभूति स्वीकार्य नहीं है। यदि निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुरूप दर संविदा (रेट कान्ट्रेक्ट) के निष्पादित नहीं किया जाता तो विश्वविद्यालय द्वारा यथोचित कार्यवाही के साथ-साथ प्रतिभूति राशि को भी जब्त कर लिया जाएगा।
7. आपके प्रस्तुति पत्र में कृपया निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की प्रविष्टि दर्ज करें।

   (क) चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की गई दरें व अन्य नियम व शर्तें किसी भी सूरत में सरकारी/अर्ध सरकारी विभागों में प्रस्तुत की जा रही दरों व शर्तों से कम नहीं हैं।

5.

(ख) यदि रेट कान्ट्रेक्ट की अवधि के दौरान आप द्वारा बिक्री को बढ़ावा देने हेतु किसी सूरत में दरें बढ़ाई जाती हैं तो विश्वविद्यालय को प्राथमिकता के आधार पर सूचित किया जाएगा।

(ग) आपको राज्य सरकार, विश्वविद्यालय द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया।

8. इस बात की पुष्टि अथवा प्रमाण पत्र दे कि आपके परिवार का कोई सदस्य विश्वविद्यालय में नौकरी नहीं करता। यदि यह पाया गया कि आपके परिवार से संबंधित कोई सदस्य विश्वविद्यालय सेवा में है तो आप द्वारा भेजी गई दर (कोटेशन)/टेंडर को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

9. सभी प्रकार से पूर्ण मोहरबंद कोटेशन (दरें) निम्न हस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 28-1-2025 को प्रातः 10.00 बजे तक हर हाल में पहुंच जानी चाहिए। इन कोटेशनों (दरों) को इस कार्यालय उसी दिन प्रातः 11.00 बजे खोला जाएगा। प्रषित लिफाफे पर साफ-साफ अक्षरों में *''दिनांक 28-01-25 के देय कार्यालय रद्दी पूर्ति हेतु कोटेशन''* लिखा होना चाहिए।

10. यदि अन्य किसी सूचना/स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया निम्न हस्ताक्षरी को किसी भी कार्य दिवस (सोमवार से शनिवार, सिवाय द्वितीय शनिवार) में कार्यालय समय के दौरान दूरभाष नं. 01662-284317 तथा 255419 पर (प्रातः 9.00 बजे से सायं 4.30 बजे तक अगस्त से अप्रैल तथा प्रातः 7.00 बजे से सायं 1.30 बजे तक मई से जुलाई तक) संपर्क करें।

11. निर्धारित अवधि के उपरांत अथवा अपूर्ण कोटेशन/आफर को रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र हिसार न्यायालय ही होगा। किसी भी व्यापारी द्वारा अपनी कोटेशन/बीजक में किसी अन्य न्यायक्षेत्र को उल्लेख किया गया हो तो वह अविधिमान्य होगा और उसकी कोई वैधानिक बाध्यता नहीं होगी।

भवदीय

14/1/2025

निदेशक (भण्डार एवं क्रय)

प्रतिलिपि :

1. ~~आशुलिपिक (आन्तरिक)~~ Incharge Computer Center
2. मास्टर फाइल